

मै0 मारुति नन्दन शाह द्वारा सौंग नदी-। पर खसरा नं.-455क, ग्राम डैसवाला, धिस्सरपड़ी तहसील-डोईवाला, जिला देहरादून (क्षेत्रफल-4.50 है0) में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु दिनांक 19.09.2025 (प्रातः 11.00 बजे), स्थान परियोजना स्थल के समीप ग्राम डैसवाला, धिस्सरपड़ी में पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 मारुति नन्दन शाह द्वारा सौंग नदी-। पर खसरा नं.-455क, (क्षेत्रफल-4.50 है0) में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना-2006 (यथासंशोधित 2009) के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना-1994 (यथासंशोधित 2009) के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में ग्राम डैसवाला, धिस्सरपड़ी, तहसील डोईवाला, जिला देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 चौहान (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) व श्री दीपेन्द्र भट्ट (अनुश्रवण सहायक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11.00 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के प्रतिनिधि श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 मारुति नन्दन शाह द्वारा सौंग नदी-। पर खसरा नं.-455क, (क्षेत्रफल-4.50 है0) में लघु खनिजों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर-2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दिनांक 15.08.2025 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आक्षेप मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों को परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से लिखित व मौखिक रूप से रख सकते हैं, जिसे संकलित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि जन समुदाय के विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इसके उपरान्त में मै0 मिन्दर सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह के पर्यावरणीय परामर्शी संस्था मै0 कॉग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि श्री पार्थ द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 4.50 है0 है, जो कि ग्राम डैसवाला, धिस्सरपड़ी,

तहसील-डोईवाला, जिला देहरादून में स्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मै० मारुति नन्दन शाह को लीज पर दिया गया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बोल्टर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया जायेगा। नदी में लघु खनिजों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु खनिजों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि तीन मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना में खनन कार्य पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके किया जायेगा। श्री पार्थ द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय-समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा एवं प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. श्री अमित सैनी, ग्राम-घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून द्वारा कहा गया कि खनन मानकों के अनुरूप ही किया जाये। खनन परिवहन हेतु प्रयुक्त मार्गों की मरम्मत की जाये तथा स्थानीय लोगों को खनन कार्य में रोजगार दिया जाये।
2. श्री अनुज कालरा, (पार्षद-डैसवाला) डोईवाला, देहरादून द्वारा कहा गया कि खनन कार्य मानकों के अनुरूप ही किया जाये, खनन से क्षेत्र में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति पट्टाधारक द्वारा सुनिश्चित की जाये, खनन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाये तथा खनन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाये।
3. श्री हरिन्दर बैरागी, ग्राम-डैसवाला, घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन कार्य नदी के किनारों से कितनी दूरी पर किया जायेगा व नदी के दोनों ओर प्रस्तावना के अनुसार की खनन किया जाये।
4. श्री सोनू गोयल, ग्राम-डैसवाला, घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून, द्वारा कहा गया कि यह क्षेत्र श्रमिक प्रधान है तथा खनन होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री गोयल द्वारा खनन परियोजना का समर्थन किया गया।
5. श्री देवी शरण ग्राम-डैसवाला, घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून द्वारा कहा गया खनन क्षेत्र में खनन कार्य करने वाले लोगों द्वारा क्षेत्र में अव्यवस्था फैलायी जाती है, जिसे रोकने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होनी चाहिए।

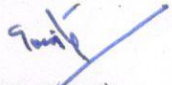
अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में मै0 मारुति नन्दन शाह के प्रतिनिधि श्री पार्थ द्वारा कहा गया कि नदी के किनारों से 10 मीटर छोड़कर नदी के बीच में खनन कार्य किया जायेगा। खनन में निजी भूमि को नहीं लिया गया है। खनन कार्य राजस्व भूमि पर ही किया जायेगा। नदी में 4.50 है। क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा। उक्त परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। पूर्व में खनन हेतु प्रयुक्त मार्गों पर भी विचार किया जायेगा। भूमि को कटाव से बचाने हेतु पाँच साल में कुल 4,500 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। मै0 मारुति नन्दन शाह के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासित किया गया कि पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत स्थानीय प्राथमिक विद्यालय हेतु मद दिया जायेगा। खनन कार्य से प्राप्त लाभों का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही के समापन की घोषणा की गयी। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक—

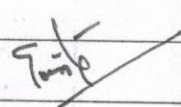
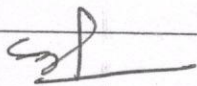
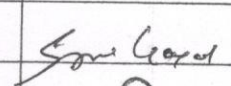
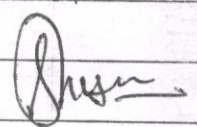
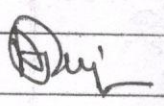
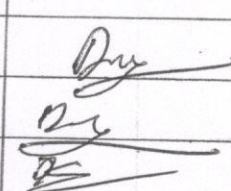
1. फोटोग्राफ
2. पैन ड्राइव
3. उपस्थिति पंजिका


(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून


(स्मृता परमार)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
देहरादून

Date

आज दिनांक 19.9.2023 को मैं माछी नन्दन शाह द्वारा
सैग-4 नदी जिमपडी, डेकवाला में (रेता कजरी वाला फसल)
के खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की उपस्थिति का
विवरण -

क्र.सं.	नाम	पद नाम/जावे का नाम	मो. नं.	हस्ताक्षर
1	रमिता परमार	विशेष मुनी व्यवस्थापिका कछिगरी डेकवाला		
2	रंजित रंजित चौधरी	सहायक वैज्ञानिक कछिगरी भूखण्ड की वी.डी. डेकवाला	9771034547	
3	मोनु गोयल		9897213558	
4	श्यामसिंह	चांदनारी	9837878730	
5	अनुज कालरा	राजीव डेकवाला	8006899039	
	राजीव	राजीव	7060090631	
	अविन	कोसलपुरी	9389994142	
	प्रकाश चन्द			
	जयसिंह	लिफ्टवाला		
	राम दुलारे	राजीव नगर		
	देवचन्द प्रसाद	राजीव नगर		
	हरि-प्र वेरागी	राजीव नगर		
	पेशाकर	राजीव नगर	853304084	
	मजुमदार	देवावाला		
	पुलावे	डोडवाला		

Date

वीर
देवीशरण
अनिल
रविश
अबल
मनोज कुमार
Amit Saini
Ranjel Singh

डोशवाला

~~AA~~

~~AA~~

~~AA~~

~~AA~~

~~AA~~

~~AA~~